

THE STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LTD:: NEW DELHI
(INDUSTRIAL RELATIONS SECTION)

April 2nd, 2018

Circular No: IR/05/2018

Ref: Circular No: IR/33/2012 dated 30.11.2012

Subject: OPD Reimbursement Ceiling- Reg

In modification of Circular No. IR/33/2012 dated 30.11.2012 regarding reimbursement of OPD medical expenses in a financial year, it has been decided to reduce the Annual OPD reimbursement ceiling from Rs. 40,000/- to Rs. 20,000/- per annum, w.e.f. 01.04.2018.

2. The position in this regard will be reviewed in April, 2019.
3. This issues with the approval of the Competent Authority.


(T. Keretta)

General Manager (Personnel)

Distribution:

- All CGMs/GMs
 - All Branch Managers
 - All Divisional Heads, CO
 - JGM(F) (A&E) – Hard Copy
 - Medical Section – Hard Copy
 - Notice Board – Hard Copy
 - Website
- } e-mail

Copy to:

- Exe. Secy to CMD
- Exe. Secy to Director(Personnel)
- Exe. Secy to Director(Finance)
- Exe. Secy. to Director(Marketing)
- Exe. Secy to CVO

एसटीसी/मुख्यालय/का.औ.सं./02076(खंड-V)/2017

दि स्टेट टेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड : नई दिल्ली
(औद्योगिक संबंध अनुभाग)

02 अप्रैल, 2018


परिपत्र सं.: औ.सं./05/2018

संदर्भ: परिपत्र सं. औ.सं./33/2012 दिनांक 30.11.2012

विषय: ओपीडी प्रतिपूर्ति की सीमा के संबंध में

वित्तीय वर्ष के दौरान ओपीडी चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में परिपत्र सं. औ.सं./33/2012 दिनांक 30.11.2012 में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 01.04.2018 से वार्षिक ओपीडी प्रतिपूर्ति की सीमा को ₹40,000/- से ₹20,000/- प्रतिवर्ष करने का निर्णय लिया गया है।

2. अप्रैल, 2019 माह में इस स्थिति की समीक्षा की जाएगी।
3. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


(टी. केरकेट्टा)

महाप्रबंधक (कार्मिक)

वितरण:

- सभी मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक
 - सभी शाखा प्रबंधक
 - सभी प्रभागाध्यक्ष, मुख्यालय
 - संयुक्त महाप्रबंधक(वित्त) (लेखा एवं स्थापना)
 - चिकित्सा अनुभाग
 - सूचना पट्ट
 - एसटीसी वेबसाइट
- } ई-मेल

प्रतिलिपि:

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के कार्यकारी सचिव
- निदेशक(कार्मिक) के कार्यकारी सचिव
- निदेशक(वित्त) के कार्यकारी सचिव
- निदेशक(विपणन) के कार्यकारी सचिव
- मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्यकारी सचिव